तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
27/08/24	आज यह पत्रावली तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर द्वारा पत्रांकः तबी/राजस्व/रास्ताप्रकरण/20/1297 दिनांक 14.08.2024 पेश करने पर पेशी में ली गयी। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। पेरोकारराज उपस्थित। प्रस्तुत पत्र में निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 में ग्राम आसेरा के खसरा नंबर 351/16 में पूर्वी सींव में से रास्ता निकल रहा है एवं पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट में पूर्वी सींव में से ही रास्ता अंकित किया गया है। प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2024 में रास्ता उत्तर पूर्वी सींव में से स्वीकृत किया गया है। जिसे पूर्वी सींव से स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष को प्रस्तुत पत्र के तथ्यों पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया। अतः रिपोर्ट हल्का पटवारी के आधार पर निर्णय दिनांक 10.07.2024 में अंकित उत्तर पूर्वी सींव के स्थान पर पूर्वी सींव पढ़ा जावे, शेष आदेश यथावत रहेगा। उक्त आदेश, निर्णय दिनांक 10.07.2024 का अभिन्न अंग होगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। पेरोकारराज उपस्थित। बहस उभयपक्ष दिनांक 2.7.24 को सुनी गयी। राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया को उसके खेत खसरा नंबर 17 तादादी 3.7200 हैक्टर भूमि में आने जाने हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता आराजीराज भूमि खसरा नंबर 351/16 के उत्तर–पूर्वी सींव में से स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर उक्त रास्ते को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकनप करें तथा उक्त रास्ते के बदले में प्रार्थीनी नियमानुसार डीएलसी की दो गुना राशि खजाना राज जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	